राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक

खनिज भवन सिविल लाईन टोंक

email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ / टोंक / निविदा / 2024 / 1677 दिनांक :– 13/02/2024

नीलामी सूचना प्रकाशन 01 / 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोंक जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी / सरकारी खसरों में अवैध खनन / निर्गमन चैंकिग के दौरान आर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज बजरी जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाईट **www.mines.rajasthan.gov.in** एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र, 1000 / – रू0 का डी.डी. / बैंकर्स चैक ''सहायक खनि अभियन्ता, टोंक'' (ASSISTANT MINING ENGINEER TONK) के नाम से जारी कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 04 मार्च 2024 (दोपहर 12 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सिविल लाईन टोंक से प्राप्त कर सकते है :–

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	मोटूका चैक पोस्ट, बरौनी तहसील व जिला टोंक ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	3960	2,17,800	21,78,000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्टॉक स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाऐं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक खनिज भवन, सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 पर रखे टेण्डर बॉक्स में 04 मार्च 2024 (दोपहर 2 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना / अमानता राशि का **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** जो **सहायक खनि अभियन्ता, टोंक** के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–2 स्टॉक स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना / अमानता राशि के **डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक** भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारो / कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नही है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित स्टॉक स्थल पर किया जा सकता है।
5. जप्तशुदा बजरी स्टॉक स्थल पर जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 **को सायं 03.00 बजे** उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 10 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को वस्तु एवं सेवाकर विभाग के जीएसटी संख्या की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावाडीएमएफटी व आरएसएमईटी तथा GST/Income Taxअतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 01 दिवस सहित अधिकतम 20 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनो में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनो की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनो के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वा ली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिको द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिहवन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्पयूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनो को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नही होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनो की तोल पर्चियॉ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नही हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस म्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनो के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनो के अतिरिक्त अन्य वाहनो से अनुमत नही होगा।
21. खनिज के परिवहन हेत विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनो को प्राथमिकता दी जावेगी।

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता, टोक

क्रमांकः–सखअ/टोंक/नीलामी/2024/1678-1685 दिनांक : 13.02.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमाननिदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर टोंक।
3. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।
4. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को नीलामी गाईडलाईन दिनांक 09.07.2019 तथा 05.08.2019 के क्रम में सादर प्रेषित है।
5. श्रीमानअतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. श्रीमाननोडल अधिकारी, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्रीमानअधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत जयपुर।
8. श्रीमानसूचना सहायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

13.02.2024

सहायक खनि अभियन्ता, टोंक

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक
email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ / टोंक / निविदा / 2024 / 1686 दिनांक :– 13/02/2024

नीलामी सूचना प्रकाशन 01 / 2023–24

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक के मोटुका चेक पोस्ट पर 3960 टन जब्तशुदा खनिज बजरी के निम्न अवैध स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है–

क्रम सं.	बजरी स्टॉक स्थल	खनिज	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों मे)	बयाना / अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रू.)
1	मोटूका चैक पोस्ट, बरौनी तहसील व जिला टोंक ढेरियों की रूप में पड़ी है।	बजरी	3960	2,17,800	21,78,000

उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रू. 1,000/–का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 04मार्च 2024 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्तजब्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 04 मार्च 2024 (दोपहर 02.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 04 मार्च 2024 को सायं 03:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी,नीलामी की शर्ते एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय मेंनोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

13.02.2024

सहायक खनि अभियन्ता टोंक